2023 का विधेयक संख्यांक 22

हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

Scanned with OKEN Scanner

हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 2 का संशोधन।

Scanned with OKEN Scanner

हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 (1995 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2023 है।

धारा 2 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 की धारा 2 में, खंड (ङङ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

> "(ङङ) जीव अनाशित सामग्री" से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसका, सुक्ष्म जीवों, सूर्य के प्रकाश या अन्य प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा विघटन और अवक्रमण नहीं किया जा सकता है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट पॉलिथीन, नाइलोन या अन्य प्लास्टिक–पदार्थ जैसे पॉली–विनायल–कार्बोहाइड्रेटस (पी० वी० सी०) पॉलीप्रापाइलीन और पॉली–स्टाइरीन से बनाया गया या निर्मित माल और कोई सामग्री जो लगभग छह मास समयावधि में विघटन के लिए विवृत स्थितियों में 35 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के विशिष्ट तापमान स्तर पर खाद बनाने योग्य जीवनाशित होने के लिए विनिर्दिष्ट हैं या कोई अन्य सामग्री जो हिमाचल प्रदेश राज्य की प्राकृतिक जलवायु परिस्थितियों मे दिन प्रतिदिन के आधार पर अनाशित हैं";।

Scanned with OKEN Scanner

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 को सार्वजनिक नालियों, सड़कों और सहजदृश्य स्थानों पर जीव अनाशित कूड़ा–कचरा फैंकने या एकत्रित करने से निवारित करने और हिमाचल प्रदेश राज्य में जीव अनाशित सामग्री के उपयोग को विनियमित करने तथा तत्संबद्ध और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था।

विधायी आशय के अनुरूप जीव अनाशित कूड़ा–कचरा के अनुचित निपटान को निवारित करने और राज्य में ऐसी सामग्रियों के उपयोग को विनियमित करने हेतु सार्वजनिक स्थानों में पर्यावरणीय विघटन को नियंत्रित करने के लिए 'जीव अनाशित सामग्री' की विद्यमान परिभाषा को अधिक प्रभावी बनाया जाना अपेक्षित है। कुछ सामग्रियां पर्यावरण अनुकूल वर्णित की गई है, परंतु उनके नाशित होने के लिए कतिपय स्थितियां अपेक्षित हैं जैसे लगभग छह मास के लिए 35 से 40° सेंटीग्रेड तापमान का बने रहना। साधारणतया, हिमाचल प्रदेश की स्थितियां अधिक ठण्डी होती है, जिसके कारण पूर्ववर्णित सामग्रियों का सड़ना कठिन होता है। इसलिए, परिभाषा को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह इन नई सामग्रियों को समाविष्ट करती हैं और राज्य में व्यावहारिक चुनौतियों का ध्यान रखती है, ठीक करना अपेक्षित है।

प्रस्तावित संशोधन इस खाई को पाटने के लिए है, जिसका उद्देश्य अधिक व्यापक परिभाषा है, जो न केवल पर्यावरणीय उद्देश्यों के अनुरूप हों, बल्कि राज्य के भीतर, अपशिष्ट प्रबंधन की व्यावहारिक चुनौतियों को भी समायोजित करें।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

सुखविन्द्र सिंह

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री।

मुख्यमन्त्री
हिमाचल प्रदेश

धर्मशाला :

तारीख.................., 2023

Scanned with OKEN Scanner

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

Scanned with OKEN Scanner

हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2023

हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 (1995 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

सुखविन्द्र सिंह

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री।

मुख्यमन्त्री
हिमाचल प्रदेश

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

धर्मशाला:
तारीख.................................., 2023

Scanned with OKEN Scanner

इस संशोधन विधेयक, द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 (1995 का अधिनियम संख्यांक 15) के उपबन्धों के उद्धरणः

धाराः

2. **परिभाषाएं**.—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "जीव नाशित कूड़ा – कचरा" से जीवित प्राणियों की किया द्वारा नाशित किए जाने योग्य कूड़ा– कचरा या अपशिष्ट सामग्री अभिप्रेत है;

(कक) "सक्षम प्राधिकारी से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के प्रवर्तन हेतु नियुक्त कोई प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ख) "सफाई गली" से रास्ता या भूमि का टुकड़ा अभिप्रेत है जो नाली के रूप मे प्रयुक्त किए जाने या नाली निकालने के लिए अथवा शौचालय, मूत्रालय, मलकुंड तक या गंदगी या अन्य दूषित पदार्थ के लिए अन्य पात्र तक, उसकी सफाई के लिए या उसमें से ऐसे पदार्थ को हटाने के लिए नियोजित व्यक्तियों के आने जाने के प्रयोजन के लिए बनाया गया है, पृथक रखा गया है या प्रयोग मे लाया जाता है;

(ग) "स्थानीय प्राधिकरण" से तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित या जारी रखा गया नगर निगम, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत, छावनी, बोर्ड, जिला परिषद, पंचायत समिति या ग्राम पंचायत अभिप्रेत है;

(घ) "मण्डी'' के अन्तर्गत, इस बात के होते हुए भी क्रेताओं और विक्रेताओं के जमा के लिए कोई सामान्य विनियम नहीं है और स्थान के स्वामी या किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा मंडी के कारोबार या मंडी मे बार–बार आने वाले व्यक्तियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण रखा जाता है या नहीं, कोई ऐसा स्थान है, जहां ऐसे स्थान के स्वामी की सम्मती सहित या रहित, व्यक्ति, मानव प्रयोग अथवा उपभोग के लिए मांस, मछली, फल, सब्जियां, भोजन या अन्य वस्तुएं विक्रय के लिए, रखने के लिए, एकत्र होते है;

(ङ) जीव अनाशित कूड़ा–कचरा से जीव अनाशित सामग्री से निर्मित अपशिष्ट कूड़ा–कचरा अभिप्रेत है;

Scanned with OKEN Scanner

(ङङ) "जीव अनाशित सामग्री" से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसका, जीवाणु–क्रिया (माइक्रो–ऑरगानिज्मज), धूप या अन्य प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा विघटन और अवक्रमण नहीं किया जा सकता है और इसके अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची मे विनिर्दिष्ट पोलीथीन, नाईलोन, या पलास्टिक के अन्य पदार्थो जैसे कि पॉली–विनायल–कार्बोहाइड्रेटस (पी0वी0सी0), पोलीप्ररोपाईलीन और पोली–स्टाइरीन से बनाया गया या निर्मित माल सम्मिलित है;

(च) "अधिभोगी" के अन्तर्गत निम्नलिखित है–

(i) कोई व्यक्ति जो स्वामी को तत्समय उस भूमि या भवन के भाटक या भाटक का कोई भाग संदत्त कर रहा है या संदत्त करने का जिम्मेदार है, जिसकी बाबत ऐसा भाटक संदत्त किया जाता है या देय है;

(ii) वह स्वामी जो अपनी भूमि या भवन का अधिभोग कर रहा है या अन्यथा उसका प्रयोग करता है;

(iii) किसी भूमि या भवन का भाटमुक्त अधिकारी; और

(iv) ऐसा कोई व्यक्ति जो कोई भूमि या भवन के प्रयोग और अधिभोग के लिए उसके स्वामी को नुकसानी संदत्त करने का दायी है;

(छ) "स्वामी" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो तत्समय किसी भूमि या भवन का भाटक चाहे अपने ही निमित्त या अपने और अन्य के निमित्त या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अभिकर्ता, न्यासी, संरक्षक या रिसीवर के रूप मे प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है या जो, यदि भूमि या भवन या उसका भाग किसी अधिकारी को पटटे पर दे दिया जाए तो इस प्रकार भाटक प्राप्त करेगा, या प्राप्त करने का हकदार होगा;

(ज) "स्थान" से कोई भूमि या भवन अथवा भवन का भाग अभिप्रेत है और किसी भवन या भवन के भाग से अनुलग्न उद्यान, जमीन और उपगृह, यदि कोई हो, इसके अन्तर्गत है;

(झ) "जनता के दृष्टीगोचर खुले स्थान" के अन्तर्गत कोई प्राईवेट स्थान या भवन, स्मारक, बाड़ या छज्जा है जो किसी सार्वजनिक स्थान में, या उससे होकर गुजरने वाले व्यक्ति को दिखाई देता है;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

Scanned with OKEN Scanner

(ट) "लोक विश्लेषक" से, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबन्धों के अधीन राज्य में स्थापित या मान्यता प्राप्त किसी पर्यावर्णिक प्रयोगशाला के सम्बन्ध में सरकारी विश्लेषक के रूप में नियुक्त या मान्यता प्राप्त व्यक्ति अभिप्रेत है; और

(ठ) ''सार्वजनिक "स्थान" से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जो सर्वसाधारण के प्रयोग और उपयोग के लिए खुला है चाहे उसका सर्वसाधारण द्वारा वास्तव में प्रयोग या उपयोग किया जाता है या नहीं और सड़क, मार्ग, मण्डी, सफाई रास्ता या रास्ता, चाहे वह आम रास्ता है या नहीं या उतरने का स्थान जहां सर्वसाधारण की पंहुच है या आने– जाने का अधिकार है अथवा जिस पर उन्हें जाने का अधिकार है इसके अन्तर्गत है।

Scanned with OKEN Scanner

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 22 OF 2023

THE HIMACHAL PRADESH NON-BIODEGRADABLE GARBAGE (CONTROL) AMENDMENT BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

Scanned with OKEN Scanner

THE HIMACHAL PRADESH NON-BIODEGRADABLE GARBAGE (CONTROL) AMENDMENT BILL, 2023

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 2.

Scanned with OKEN Scanner

Bill No. 22 of 2023

THE HIMACHAL PRADESH NON-BIODEGRADABLE GARBAGE (CONTROL) AMENDMENT BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995 (Act No.15 of 1995).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in Seventy- fourth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Amendment Act, 2023.

Amendment section 2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995, for clause (ee), the following shall be substituted, namely:—

"(ee) 'non-biodegradable material' means the material which cannot be decomposed or degraded by action of micro-organisms, sunlight or other natural actions and includes goods made or manufactured from Polythene, Nylon or other plastic substances such as Poly-Vinyl-Carbohydrates (P.V.C.), Poly- Propylene and Poly-styrene and any material which is specified to be compostable/ biodegradable at a particular temperature level of 35 to 40°C in open conditions for degradation in approximately six months time or any other material which is not degradable on day to day basis in natural climatic conditions of State of Himachal Pradesh as specified in the Schedule approved to this Act;".

Scanned with OKEN Scanner

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995 was enacted to prevent throwing or depositing non-biodegradable garbage in public drains, roads and places open to public view and to regulate the use of non-biodegradable material in the State of Himachal Pradesh and for matters connected therewith and incident thereto.

In alignment with the legislative intent to prevent the improper disposal of non-biodegradable garbage and regulate the use of such materials within the State, the existing definition of 'non-biodegradable material' is required to be made more effective to curb environmental degradation. Some materials are described as environment friendly but they need certain conditions to break down like staying at a high temperature of 35 to 40°C for around 6 months. Generally, the conditions in Himachal Pradesh are cooler thereby making it difficult to decompose the aforementioned materials. Therefore, the definition needs tweaking to make sure that it covers these new materials and considers the practical challenges in the State.

The proposed amendment seeks to bridge this gap, aiming for a more comprehensive definition which not only aligns with environmental objectives but also accommodates the practical challenges of waste management within the State.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

Chief Minister
Himachal Pradesh

DHARAMSHALA:

THE…............... ,2023

Scanned with OKEN Scanner

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

Scanned with OKEN Scanner

THE HIMACHAL PRADESH NON-BIODEGRADABLE GARBAGE (CONTROL) AMENDMENT BILL, 2023

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control), Act 1995 (Act No. 15 of 1995).

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

Chief Minister
Himachal Pradesh

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Secretary (Law).

DHARAMSHALA:

THE.............., 2023

Scanned with OKEN Scanner

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH NON-BIODEGRADABLE GARBAGE (CONTROL) ACT 1995 (ACT NO. 15 OF 1995) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

Section:

2. **Definitions.**—In this Act, unless the context otherwise requires-

(a) "bio-degradable garbage" means the garbage or waste material capable of being destroyed by the action of living beings;

(aa) "competent authority" means any authority, officer or person appointed by the State Government, by notification, for enforcement of any of the provisions of this Act.

(b) "house gully" means a passage or strip of land constructed, set apart or utilized for the purpose of serving as or carrying a drain or affording access to the latrine, urinal, cesspool or other receptacle for filth or other polluted matter, by persons employed in the clearing thereof or in the removal of such matter there from;

(c) "local authority" means a Municipal Corporation, a Municipal Council, a Nagar Panchayat, a Cantonment Board, a Zila Parishad, a Panchayat Samiti or a Gram Panchayat constituted, or continued, under any law for the time being in force;

(d) "market" includes any place where persons assemble of exposing for sale, meat, fish, fruits, vegetables, food, or any other articles for human use or consumption with or without the consent of the owner of such place, notwithstanding that there may be no common regulation for the concourse of the buyers and the sellers and whether or not any control is exercised over the business of, or the persons frequenting, the market by the owner of the place or by any other persons;

(e) "non-biodegradable garbage" means the waste garbage made of non-biodegradable material:

(ee) "non-biodegradable material" means the material which cannot be decomposed or degraded by action of micro-organisms, sunlight or other natural actions and includes goods made or manufactured from polythene, nylon or other plastic

Scanned with OKEN Scanner

substances such as Poly-vinyl- carbohydrates (P.V.C.), poly-propylene and polystyrene specified in the Schedule to this Act, and

(f) "occupier" includes-

(i) any person who for the time being is paying or is liable to pay to the owner the rent or any portion of the rent of the land or building in respect of which such rent is paid or is payable;

(ii) an owner in occupation of or otherwise using his land or building:

(iii) a rent free tenant of any land or building; and

(iv) any person who is liable to pay to the owner damages for the use and occupation of any land or building.

(g) "owner" includes a person who for the time being is receiving or is entitled to receive, the rent of any land or building, whether on his own account or on account of himself and others or as an agent, trustee, guardian or receiver for any other or who should so receive the rent or be entitled to receive it if the land or building or part thereof were let to a tenant;

(h) "place" means any land or building or part of a building and includes the garden, ground and out-houses, if any, pertaining to a building or part of a building:

(i) "place open to public view" includes any private place or building, monument, fence or balcony visible to a person being in, or passing along, any public place;

(j) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act,

(k) "Public Analyst" means the person appointed or recognised to be the Government Analysts, in relation to any environmental laboratory established or recognised in the State, under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), and

(l) "public place" means any place which is open to use and enjoyment of the public whether it is actually used or enjoyed by the public or not and includes a road, street, market, house-gully or way, whether a thoroughfare or not, and landing place to which public are granted access or have a right to resort or over which they have a right to pass.

राजकीय मुद्रणालय, हि०प्र०, शिमला—–1953–जुड/2023–15–12–2023—–175 प्रतियां।

Scanned with OKEN Scanner